राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर –302015
(दूरभाषः 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ईमेलः aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः एफ. 2 (ka) sas-I/1012 दिनांकः 14/7/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(सी)(677)जांच दिनांक 31.12.1999 के द्वारा श्री रतन प्रकाश दर्जी, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी को राजस्थान सविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने तथा निलम्बन अवधि में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन–भत्ते देय नहीं होने के दण्ड से दण्डित किया गया था। विभागीय अन्य आदेश क्रमांकः एफ.2(क)एसएएस–1/582 दिनांक 21.09.2000 के द्वारा श्री दर्जी को राज. सिवलि सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में श्री दर्जी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में दायर क्रमशः एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1180/2013 एवं 3985/2012 में मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2016 को आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा क्रमशः डी.बी. स्पेशल अपील (याचिका) 254/2017 एवं 258/2017 दायर की गईं जिसे मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2020 के द्वारा दोनों अपील खारिज की गई, जिसके सम्बन्ध में सक्षम स्तर से एस.एल.पी. दायर नहीं करने का निणर्य लिया गया है।

अतः श्री रतन प्रकाश दर्जी, सेवा निवृत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1180/2013 एवं 3985/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैंः–

1. श्री रतन प्रकाश दर्जी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जारी दण्डादेश क्रमांक एफ.1(सी)(677)जांच दिनांक 31.12.1999 को एतत्द्वारा निरस्त करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि अब राज. सेवा नियम के नियम 254 के अन्तर्गत श्री दर्जी की **निलम्बन अवधि को समस्त पेंशन योग्य परिलाभों के लिए गणना योग्य तथा वित्तीय परिलाभों (वेतन एवं भत्तों) के लिए कर्त्तव्य (Duty) माना जाएगा तथा निलम्बन अवधि में भुगतान किय गये निर्वाह भत्ते को कम करते हुए शेष देय (बकाया) वेतन का भुगतान मय 12% प्रतिवर्ष ब्याज के किया जायेगा।**
2. श्री रतन प्रकाश दर्जी के सम्बन्ध में राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत जारी अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश क्रमांक एफ.2(क)एसएएस–1/582 दिनांक 21.09.2000 को भी एतत्द्वारा निरस्त करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि अब श्री दर्जी को **दिनांक 21.09.2000 से पुनः निरन्तर सेवा में मानते हुए इनकी अधिवार्षिकी सेवानिवृति दिनांक 31.05.2015 को मानी जाएगी तथा इस अवधि के वेतन के अतिरिक्त अन्य समस्त सेवानिवृती परिलाभ देय होंगे।**

3. उक्त प्रकरण के क्रम में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.

12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि

स्वर्गीय श्री रतन प्रकाश दर्जी के विरूद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ. 2 (ka) sas-I/ 1012

दिनांकः 14/7/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के क्रम में श्री रतन प्रकाश दर्जी को देय वेतन–भत्तों का भुगतान कर इस निदेशालय को सूचित करने का श्रम करें।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को श्री रतन प्रकाश दर्जी को देय पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)/शासन सचिवालय
4. श्री रतन प्रकाश दर्जी, सेवा निवृत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, निवासीः प्लाट न0 बी–141 जगदम्बा नगर, हीरापुरा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. संयुक्त निदेशक, जांच/उपविधि परामर्शी कार्यालय हाजा।
7. उपनिदेशक(एसीपी)को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक।)